

21.10.22

धौलपुर (राज.)

कोई उपस्थित नहीं। वादी एवं उनके वकील
को कोई बात आवाज लगवाती नहीं। कोई दायित्व
प्रमाण नहीं लाया। अतः दावा वादी अदालत
दायित्व व अदालत के रिकॉर्ड में स्थापित किया
जा रहा है। प्रभावित फैसला शुभकर दायर
हो 29 नवंबर को।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)